

(5)

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-92/2019

1. रवि कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी
2. शकुंतला देवी पत्नी जगदीश } जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. जगदीश पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. अपुर्वा पुत्री जगदीश पत्नी सुधीर जाति जाट निवासी खारी सुरेशं तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नरेन्द्रपाल वर्मा वकील वादीगण मिन जाभिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चकनं० 7 एफटीपी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 52/159 के प०न० 218/247 मु० 47 किलानं० 16, प०न० 219/247 मु० 48 किलानं० 11,12,19,20,22 कुल 1.518 है० तथा इसी चक 7 एफटीपी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 54/97 के प०न० 219/247 मु० 48 किलानं० 13,14,17,18,23 कुल 1.265 है० नहरी भूमि के वादीगण को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 7 एफटीपी के खाता सं० 52/159 व इसी चक के खाता सं० 54/97 मे से प्रतिवादीसं० 1 जगदीश का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुख्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....

.....अदा करें।  
बसब्त मेरें दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....04/09/19.....को जारी किया गया।

( मीनू वर्मा )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी